

# यू पी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

CIN :U15209UP1976SGC004285



ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन फार्म एवं डाक्यूमेंट

गोमती बैराज, बांया तट गोमती नगर, लखनऊ—206010

Website : [www.upprojects.org](http://www.upprojects.org)

## यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

गोमती बैराज, बायॉ तट, गोमती नगर, लखनऊ-226010

फोन नं0- 0522-2308945, 2308946, 2308947

**Website: [www.upprojects.org](http://www.upprojects.org)**

(आई0एस0ओ0:9001-2015 प्रमाणित संस्था)

### ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन

ई-टेंडर के माध्यम से सिविल निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 में ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन हेतु सील बन्द कवर में ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं।

रजिस्ट्रेशन हेतु डाक्यूमेंट कारपोरेशन की वेबसाइट [www.upprojects.org](http://www.upprojects.org) पर उपलब्ध हैं जिसे वेबसाइट से डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन शुल्क, जनरल सिक्योरिटी एवं अन्य वांछित अभिलेखों सहित दिनांक 30.11.2017, अपराह्न 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले ऑफर पर विचार नहीं किया जायेगा।

महाप्रबन्धक

(तकनीकी एवं परिवाद)

## चेक लिस्ट

ठेकेदार का नाम/फर्म का नाम- .....

श्रेणी -.....

क्र० सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	आवेदन फार्म	
2.	रजिस्ट्रेशन शुल्क	
3.	जनरल सिक्योरिटी	
4.	पार्टनर/प्रो०/कम्पनी एक्ट से सम्बन्धित अभिलेख	
5.	शपथ पत्र, एकल स्वामित्व	
6.	संवैधानिक विवरण (परिशिष्ट ख)	
7.	चरित्र प्रमाण पत्र (परिशिष्ट च)	
8.	हैसियत प्रमाण पत्र (परिशिष्ट छ)	
9.	पैन कार्ड की प्रति	
10.	आई०टी०आर० (3 वर्षों की)	
11.	बैलेंस शीट (3 वर्षों की)	
12.	अनुभव	
13.	फोटोग्राफ	
14.	शपथ पत्र, ब्लड रिलेशन	
15.	टी एण्ड पी (परिशिष्ट ग)	
16.	तकनीकी स्टाफ की सूची (परिशिष्ट ङ)	
17.	डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र	
18.	जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	
19.	अन्य	

Signature of Contractor/ Authorized signatory of firm

# यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०

टेकेदारों के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन फार्म

क्रम संख्या	मद	आवेदक का विवरण
1	टेकेदार का नाम/ फर्म का नाम	..... ..... .....
2	आवेदक का नाम एवं पद (प्रोपराइटर/ पार्टनर/ डायरेक्टर इत्यादि)  फोटोग्राफ एक फोटोग्राफ चिपकायें तथा दो फोटोग्राफ संलग्न किये जायें	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">फोटो हस्ताक्षर सहित</p> </div> <p>फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी/ नोटरी से प्रमाणित होनी चाहिए।</p>
3	पता  1. कार्यालय—  2. निवास—  3. फोन नं०:—कार्यालय— निवास— मोबाइल—  4. फ़ैक्स नं०—  5. ई-मेल—	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
5	किस श्रेणी के लिए आवेदन किया जा रहा है—	.....
6	रजिस्ट्रेशन शुल्क का विवरण	बैंक का नाम/ शाखा..... धनराशि रु०..... डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या दिनांक सहित.....
7	जनरल सिक्योरिटी का विवरण	बैंक का नाम/ शाखा..... धनराशि रु०..... एफ०डी०आर० संख्या दिनांक सहित..... परिपक्वता तिथि.....

Signature of Contractor/ Authorized signatory of firm

8	<p>यदि फर्म है तो फर्म की संरचना का उल्लेख किया जाये यथा एकल स्वामित्व, साझेदारी, प्राइवेट लि0, लिमिटेड इत्यादि</p> <p>नोट-1. एकल स्वामित्व के मामले में परिशिष्ट-क के अनुसार शपथ पत्र, साझेदारी के मामले में साझेदारी विलेख(रजिस्ट्रार आफ सोसायटी), प्रा0 लि0, लि0 कम्पनी के मामले में आर्टिकल आफ एसोशियेशन संलग्न की जाये।</p> <p>2. . फर्म का विवरण परिशिष्ट-ख के अनुसार</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
9	मशीनरी/टूल्स एवं प्लान्ट्स का विवरण परिशिष्ट-ग के अनुसार संलग्न है-	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
10	पिछले चार वर्षों में सम्पादित मुख्य कार्यों का विवरण परिशिष्ट-घ में दिये गये विवरण के अनुसार संलग्न है-	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
11	तकनीकी स्टाफ की सूचीपरिशिष्ट-ड. में दिये गये विवरण के अनुसार संलग्न है-	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
12	क्या आवेदक या उसके साझेदारों या निदेशकों को किसी भी केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग/संगठन या किसी निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है।(यदि हां तो विवरण दें)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
13	विगत तीन वर्षों की बैलेंसशीट चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित संलग्न है-	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
14	विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न (Filed/assessed) संलग्न है-	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
15	<p>पंजीकरण संख्या (सर्पोटिंग डाक्यूमेंट संलग्न किये जायें)</p> <p>1. पैन-</p> <p>2. जी एस टी रजिस्ट्रेशन नम्बर-</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
16	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्रपरिशिष्ट-च के अनुसार संलग्न है ?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
17	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र परिशिष्ट-छ के अनुसार संलग्न है ?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
18	ब्लड रिलेशन सम्बन्धी शपथ पत्र संलग्न है ?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

Signature of Contractor/ Authorized signatory of firm

यू0पी0प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड में ठेकेदारों के पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु  
नियम व शर्तें

1. ठेकेदारों को रजिस्ट्रेशन फार्म, परिशिष्ट एवं नियम व शर्तें इत्यादि सभी पर हस्ताक्षर करके देना होगा।
2. नवीनीकरण हेतु ठेकेदारों को रजिस्ट्रेशन अवधि समाप्त होने से पूर्व आवेदन करना होगा।
3. सिविल निर्माण कार्य हेतु विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार निम्नानुसार अंकित मूल्य तक कार्य लेने हेतु अधिकृत हैं :-

श्रेणी-ए	कोई सीमा नहीं
श्रेणी-बी	रु0 500.00 लाख तक
श्रेणी-सी	रु0 200.00 लाख तक
श्रेणी-डी	रु0 50.00 लाख तक

4. रजिस्ट्रेशन शुल्क, नवीनीकरण शुल्क, जनरल सिक्योरिटी एवं हैसियत का विवरण

श्रेणी	रजिस्ट्रेशन शुल्क / नवीनीकरण शुल्क (डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में)	जनरल सिक्योरिटी	हैसियत
श्रेणी-ए	रु0 10000.00+ जीएसटी (18 प्रतिशत अथवा जैसा लागू हों)	रु0 5.00 लाख की एफ0डी0आर0 राष्ट्रीयकृत बैंक की	जिलाधिकारी / राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत रु0 125.00 लाख
श्रेणी-बी	रु0 8000.00+ जीएसटी (18 प्रतिशत अथवा जैसा लागू हों)	रु0 2.00 लाख की एफ0डी0आर0 राष्ट्रीयकृत बैंक की	जिलाधिकारी / राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत रु0 50.00 लाख
श्रेणी-सी	रु0 7000.00+ जीएसटी (18 प्रतिशत अथवा जैसा लागू हों)	रु0 1.00 लाख की एफ0डी0आर0 राष्ट्रीयकृत बैंक की	जिलाधिकारी / राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत रु0 12.50 लाख
श्रेणी-डी	रु0 5000.00+ जीएसटी (18 प्रतिशत अथवा जैसा लागू हों)	रु0 0.50 लाख की एफ0डी0आर0 राष्ट्रीयकृत बैंक की	जिलाधिकारी / राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत रु0 6.50 लाख

Signature of Contractor/ Authorized signatory of firm

5. निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क आवेदन की गई श्रेणी के अनुसार देय होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क की धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट जो यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 के पक्ष में लखनऊ में देय हो के रूप में मान्य होगी।
6. जनरल सिक्योरिटी, राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 जो यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 के नाम प्लेज हो संलग्न करना होगा। एफ0डी0आर0 की परिपक्वता अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए।
7. प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों के लिए निम्नानुसार तकनीकी स्टाफ होना चाहिए।

क्र0सं0	श्रेणी-ए	श्रेणी-बी	श्रेणी-सी	श्रेणी-डी
1	एक ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर	एक ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर	—	—
2	दो डिप्लोमा होल्डर सिविल	एक डिप्लोमा होल्डर सिविल	एक डिप्लोमा होल्डर सिविल	—

8. तकनीकी स्टाफ का विवरण परिशिष्ट-ड के अनुसार दर्शाया जाना चाहिए।
9. परिशिष्ट-ग के अनुसार मशीनरी/टूल्स एवं प्लांट्स होना चाहिए।
10. पंजीकृत ठेकेदारों को यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्धारित नियमों से विपरीत आचरण करने पर जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब करना, फिनिशिंग ठीक न करना, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म को काली सूची में दर्ज करने, युक्तियुक्त अर्थदण्ड लगाने तथा निविदाओं में प्रतिभाग करने से रोक लगाने का अधिकार यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों को होगा।
11. आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म के किसी भी पार्टनर का निकट का रिश्तेदार(ब्लड रिलेशन) यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 में कार्यरत नहीं है। ब्लड रिलेशन का अर्थ पिता, मां, भाई-बहन, चाचा-ताऊ, बेटा व पत्नी इत्यादि से है। यदि पंजीकरण के उपरान्त इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।
12. आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-च के अनुसार ) संलग्न करना होगा।
13. आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-छ के अनुसार )संलग्न करना होगा।
14. प्रमाण पत्रों के साथ चस्पा की जाने वाली फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी/नोटरी से प्रमाणित होनी चाहिए।
15. यू0पी0प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 से सम्बन्धित सभी कार्यवाही जैसे निविदा क्रय, अनुबन्ध एवं देयक आदि पर हस्ताक्षर सम्बन्धित ठेकेदार एवं उसके द्वारा अधिकृत जो कोई एक व्यक्ति ही करेगा, शपथपत्र देना होगा।
16. वांछित अभिलेख, आवेदन पत्र के साथ न जमा करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों को होगा।

Signature of Contractor/ Authorized signatory of firm

17. पंजीकरण/नवीनीकरण के आवेदन पत्र को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 रखता है।
18. पंजीकृत ठेकेदार को यू0पी0प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 द्वारा भविष्य में भी समय-समय पर जारी किये गये आदेश मानने होंगे।
19. ठेकेदारों द्वारा आयकर विभाग में विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न की जाये।
20. विगत तीन वर्षों की बैलेंस शीट चार्टर्ड एकाउन्टेड से प्रमाणित प्रति देना होगा।
21. (1) श्रेणी-ए के ठेकेदारों को कम से कम चार वर्ष का लगातार सिविल कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा तथा सिविल निर्माण/विकास/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल कार्य हेतु पिछले चार वर्षों में कम से कम रू0 500.00 लाख के कार्यों के संतोषजनक सम्पादन का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों का प्रमाण पत्र देना होगा।
- (2) श्रेणी-बी के ठेकेदारों के लिए कम से कम 4 वर्ष का लगातार सिविल कार्य करने का अनुभवप्रमाण पत्र देना होगा तथा सिविल निर्माण/विकास/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल कार्यों हेतु पिछले चार वर्षों में कम से कम रू0 200.00 लाख लागत के कार्यों के संतोषजनक सम्पादन का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों का प्रमाण पत्र देना होगा।
- (3) श्रेणी-सी के ठेकेदारों के लिए कम से कम 4 वर्ष लगातार सिविल कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा तथा सिविल निर्माण/विकास/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल कार्य हेतु पिछले तीन वर्षों में कम से कम रू0 50.00 लाख लागत के कार्यों के संतोषजनक सम्पादन का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों का प्रमाण पत्र देना होगा।
- (4) श्रेणी-डी के ठेकेदारों के लिए कम से कम 4 वर्ष लगातार सिविल कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा तथा सिविल निर्माण/विकास/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल कार्य हेतु पिछले तीन वर्षों में कम से कम रू0 25.00 लाख लागत के कार्यों के संतोषजनक सम्पादन का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों का प्रमाण पत्र देना होगा।
- (5) यू0पी0प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 में पंजीकृत फर्मों का नवीनीकरण किये जाने या आगे की अवधि हेतु वैधता बढ़ाने के लिये फर्म को गत वर्ष में किये गये सिविल निर्माण/विकास/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल कार्यों के संतोषजनक सम्पादन का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों का प्रमाण पत्र देना होगा।
- (6) आवेदन फार्म के साथ ही समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करायी जायेगी। अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।

नोट :- उपरोक्त वर्णित राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में किये गये कार्यों का संतोषजनक रूप से पूर्ण होने का उल्लेख होना चाहिए, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित विभाग से आवश्यकतानुसार की जायेगी।

22. ठेकेदारों का पंजीकरण केवल दो वर्षों के लिए किया जायेगा। पंजीकृत ठेकेदारों के नवीनीकरण हेतु चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र तथा किये गये कार्यों को संतोषजनक ढंग से पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

Signature of Contractor/ Authorized signatory of firm



23. यदि कोई फर्म किन्हीं कारणों से यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 द्वारा ब्लैक लिस्ट की जाती है तो उस फर्म का स्वामी या पार्टनर किसी अन्य फर्म का पार्टनर या स्वामी है तो वह फर्म भी ब्लैकलिस्ट स्वतः ही हो जायेगी।
24. राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता ठेकेदारी के पंजीकरण/ नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं है। कार्य का अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे पंजीकरण/ अनुबन्ध को प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
25. ऐसे व्यक्ति /फर्म/कम्पनी जो किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड की श्रेणी में आते हैं, को भी कोई ठेकास्वीकृत नहीं किया जायेगा। इस श्रेणी के आवेदक पंजीकरण /नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं है।
26. किसी भी ठेकेदार को ठेका दे दिये जाने के बाद भी यदि कोई तथ्य प्रमाणित होता है कि संबंधित ठेकेदार /फर्म/कम्पनी द्वारा अन्य सम्भावित निविदाकर्ताओं को धमकाया गया है अथवा उन्हें प्रक्रिया में भाग लेने एवं टेण्डर डालने से रोका गया है अथवा यह पाया जाता है कि संबंधित ठेकेदार /व्यक्तिसक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो जिलाधिकारी अथवा पुलिस से जाँच रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
27. किसी भी विवाद के निस्तारण का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को होगा तथा प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
28. उक्त नियम व शर्तों के अन्तर्गत किसी भी विवाद के निस्तारण का क्षेत्राधिकारी लखनऊ स्थित न्यायालय का होगा।
29. किसी ठेकेदार द्वारा किसी अन्य ठेकेदार को सब लेट किये गये कार्य का अनुभव स्वीकार नहीं होंगे।
30. इलेक्ट्रिकल कार्य, फायर फायटिंग कार्य एवं एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट इत्यादि कार्य इस क्षेत्र में दक्ष (लाइसेंसधारी) एजेन्सियों के माध्यम से कराना होगा।
31. परिशिष्ट-ज के अनुसार शपथ-पत्र होना चाहिए।

Signature of Contractor/ Authorized signatory of firm

**A F F I D A V I T**

(On Non Judicial Stamp paper of Rs. 100/- in case the individual who is the sole proprietor of the firm)

.....s/o.....  
..... age ..... years, occupation business r/o  
..... do hereby state on oath as under:

That I am residing in ..... locality of  
District ..... since last ..... years.

That I am the sole proprietor of a proprietary concern name and style as  
“.....” having it's office at .....  
District ..... dealing in business of Government, civil contracts and ancillary  
works attached therefore.

Hence this affidavit.

Deponent \_\_\_\_\_

**Note: This Affidavit should be notarized.**

Signature of Contractor/ Authorized signatory of firm

On a non judicial stamp paper of Rs 100/-

परिशिष्ट-ख

यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0

एकल स्वामित्व/ साझेदारी/ प्राइवेट लि0/लिमिटेड/अन्य का विवरण

क्रम संख्या	एकल स्वामित्व/ साझेदार /निदेशक का नाम	आयु	शेयर (प्रतिशत में)	तकनीकी अनुभव वर्ष ..... से वर्ष .....तक	क्या धारक पावर ऑफ एटार्नी होल्डर है
1	2	3	4	5	6

**Note: This Affidavit should be notarized.**

Signature of Contractor/ Authorized signatory of firm

On a non judicial stamp paper of Rs 10/-

परिशिष्ट-ग

यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0

मशीनरी/टूल्स एवं प्लान्ट्स जो फर्म/ठेकेदार के पास उपलब्ध हैं-

क्र० सं०	मद	न्यूनतम अपेक्षित				उपलब्ध मात्रा
		श्रेणी-ए	श्रेणी-बी	श्रेणी-सी	श्रेणी-डी	
1	2	3				4
1	कंक्रीट मिक्सर	3	2	1	1	
2	वाइब्रेटर्स	4	3	2	1	
3	पम्पस	3	2	1	1	
4	डीजल विनचिस 65 टन क्षमता	1	1	-	-	
5	डीजल जनरेटर सैट 25 कि०वाट	1	1	-	-	
6	ट्रैक्टर-ट्राली	2	1	-	-	
7	लेवलिंग मशीन स्टाफ सहित	2	2	1	-	
8	अन्य मशीनरी/प्लान्ट्स (सूची संलग्न की जाये)					

**Note: This Affidavit should be notarized.**

Signature of Contractor/ Authorized signatory of firm

## यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0

पिछले चार वर्षों में सम्पादित मुख्य कार्यों का विवरण-

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	कार्य/कार्य स्थल का नाम	विभाग का नाम	आदेश सं0/ अनुबंध संख्या एवं दिनांक	अनुबंध राशि	क्या आदेश की प्रति संलग्न है (हां/नहीं) पेज नं0 अंकित किया जाये	निष्पादित कार्य का मूल्य अन्तिम बिल के अनुसार (रू0 लाख में)	कार्य आरम्भ करने का माह /वर्ष	कार्य पूर्ण करने का माह /वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Signature of Contractor/ Authorized signatory of firm

On a non judicial stamp paper of Rs 10/-

परिशिष्ट-ड.

यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०  
तकनीकी स्टाफ का विवरण

क्र० सं०	नाम	पद	आयु	शैक्षिक योग्यता	तकनीकी योग्यता	अनुभव वर्ष . ..... सेवर्ष ..... तक
1	2	3	4	5	6	7

नोट:- शैक्षिक योग्यता/तकनीकी योग्यता की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाये।

**Note: This Affidavit should be notarized.**

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट.....

चरित्र प्रमाण-पत्र

1. आवेदक का नाम श्री/श्रीमती.....
2. पिता/पति का नाम श्री.....
3. आयु.....
4. शैक्षिक योग्यता.....
5. व्यवसाय.....
6. पता-(अ) स्थाई पता दूरभाष सहित.....

फोटो

(ब) अस्थाई पता दूरभाष सहित.....

7. अपराधिक मुकदमों का विवरण.....

(व्यक्ति के विरुद्ध जनपद में दर्ज मुकदमों, अपराधिक गतिविधियों और आसामाजिक कार्यों का विवरण दिया जाय। यदि किसी न्यायालय में अपराधिक मुकदमा चल रहा है तो उसका विवरण भी दिया जाय। यदि सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों/निगमों द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया हो तो उसका विवरण भी दिया जाय। माफिया/गैंगेस्टर गतिविधियों एवं संगठित अपराधों के लिप्त व्यक्तियों के बारे में विशेष रूप से जांच करने के बाद ही प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय और इसका उल्लेख इस कालम में अवश्य किया जाय।)

8. सामान्य ख्याति.....
9. प्रमाण-पत्र:-

मेरे द्वारा श्री .....के कार्य और आचरण तथा चरित्र के सम्बन्ध में पूरी तथ्यात्मक जानकारी कर ली गयी है। इनके विरुद्ध अपराधिक मुकदमों की सूचना भी पुलिस से प्राप्त की गयी है। सभी तथ्यों की जानकारी के पश्चात मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री..... का कार्य और आचरण तथा चरित्र उत्तम है, और इनके सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग में अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग/निगमों में ठेकेदार का कार्य करने पर सामान्यतः आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर  
(मुहर सहित)

नोट:-

1. जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा यह प्रमाण-पत्र अपने स्वयं के हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा। उसके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
2. प्रमाण-पत्र देने के पूर्व वह आवश्यकतानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/तहसीलदार/एस0डी0एम0/अपर जिलाधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी से जांच कराकर रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
3. संबंधित व्यक्ति से स्वघोषणा शपथ-पत्र भी ले सकते हैं।
4. यह प्रमाण-पत्र सामान्यतः दो वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि इससे पूर्व कोई अपराधिक घटना होती है अथवा प्रार्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा आदि दर्ज होता है या वह किसी संगठित अपराध में या माफिया गतिविधियों में या असामाजिक गतिविधियों में पकड़ा जाता है तो पुलिस विभाग का यह उत्तरदायित्व, होगा कि इसकी सूचना वह जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को देगा और प्रमाण-पत्र तत्काल निरस्त किया जायेगा।
5. इन प्रमाण पत्रों की प्रविष्टि जिलाधिकारी कार्यालय में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक अलग रजिस्टर में विधिवत अंकित की जायेगी और निर्गत प्रमाण-पत्र की एक प्रमाणित फोटो प्रति रजिस्टर में अवश्य रखी जायेगी।
6. इस प्रमाण-पत्र के निर्गत करने अथवा निरस्त करने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का होगा।
7. निर्गत प्रमाण-पत्र की एक कार्यालय प्रति(Office Copy)वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अवश्य रखी जायेगी और एक अलग रजिस्टर में प्रविष्टि अंकित की जायेगी जिससे रिकार्ड रहे।
8. संबंधित व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटोग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, चरित्र प्रमाण-पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जायेगा।

Signature of Contractor/ Authorized signatory of firm

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट.....

## हैसियत प्रमाण-पत्र

1. प्रार्थी का नाम (व्यक्ति/फर्म/संस्था का नाम).....
2. पिता/पति का नाम श्री.....
3. निवास स्थान  
(अ) पूरा स्थाई पता दूरभाष सहित.....

फोटो

(ब) अस्थाई पता दूरभाष सहित.....

4. व्यवसाय.....
5. सम्पत्ति का विवरण:- जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के द्वारा चल/अचल सम्पत्ति/हैसियत के सम्बन्ध में पूरा विवरण निम्न प्रकार से दिया जाय।
  - i. अचल सम्पत्ति- जमीन/भूखण्ड/मकान/दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/उद्योग धन्धे आदि का पूरा विवरण। यह सम्पत्ति ठेकेदार के नाम है अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय। सम्पत्ति का मूल्यांकन/बाजार मूल्य तथा सम्पत्ति बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था में मार्गेज हो तो उसका विवरण भी दिया जाय।
  - ii. चल सम्पत्ति- मोटर वाहन/निर्माण कार्यो में प्रयुक्त मशीनों तथा अन्य चल सम्पत्ति का पूरा विवरण दिया जाय यह सम्पत्ति ठेकेदार के नाम है अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय। सम्पत्ति का मूल्यांकन/बाजार मूल्य कितना है। यह सम्पत्ति बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था में मार्गेज हो तो उसका विवरण भी दिया जाय।
6. बैंक अथवा वित्तीय संस्था में कोई धनराशि हो तो इसके लिए बैंक का नाम/खाता संख्या एवं उसमें रखी धनराशि का विवरण दिया जाय। इसके लिए बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय।
7. हैसियत प्रमाण-पत्र के लिए हैसियत के रूप में यदि बैंक में जमा धनराशि दर्शायी जाती है तो वह धनराशि कम से कम तीन माह पहले से बैंक में जमा होनी चाहिए और कार्य पूरा होने तक बैंक में अवश्य जमा रहनी चाहिए।
8. प्रार्थी का पैन नम्बर..... है।

मेरे द्वारा श्री (यहां व्यक्ति/फर्मसंस्था आदि का नाम लिखा जाय).....की चल और अचल सम्पत्ति के बारे में तथ्यों की जानकारी कर ली गयी है और उसका विवरण उपरोक्तानुसार दिया गया है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी जानकारी में उपरोक्त सभी तथ्य सही है और तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर यह प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर

(मुहर सहित)

- नोट- 1. जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा यह प्रमाण-पत्र अपने स्वयं के हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा। उसके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत न किया जायेगा।
2. प्रमाण-पत्र देने के पूर्व यह आवश्यकतानुसार तहसीलदार/एस0डी0एम0/अपर जिलाधिकारी/बैंक अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी से जांच कराकर रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
  3. संबंधित व्यक्ति से स्वघोषणा शपथ-पत्र भी ले सकते हैं।
  4. यह प्रमाण-पत्र सामान्यतः दो वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि इससे पूर्व कोई महत्वपूर्ण विक्रय आदि होता है या कमी आती है तो संबंधित व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व होगा कि इसकी सूचना वह जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को देगा और प्रमाण-पत्र में संशोधन जारी किया जायेगा।
  5. इस प्रमाण-पत्रों की प्रविष्ट जिलाधिकारी कार्यालय में एक अलग रजिस्टर में विधिवत अंकित की जायेगी और निर्गत प्रमाण-पत्र की एक प्रमाणित फोटो प्रति रजिस्टर में अवश्य रखी जायेगी।
  6. इस प्रमाण-पत्र के निर्गत करने अथवा निरस्त करने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का होगा।
  7. संबंधित व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटोग्राफ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, हैसियत प्रमाण-पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जायेगा।

Signature of Contractor/ Authorized signatory of firm



यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0

शपथ-पत्र

मै.....निवासी.....शपथपूर्वक बयान करता हूँ -

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है।
2. यह कि शपथकर्ता की फर्म का नाम.....है।
3. यह कि शपथकर्ता या फर्म के किसी भी अन्य पार्टनर का किसी भी राज्य बार काउंसिल में पंजीकरण नहीं है।
4. यह कि शपथकर्ता या फर्म के किसी भी अन्य पार्टनर का कोई सगा-सम्बंधी, रिश्तेदार यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 में कार्यरत नहीं है।
5. यह कि शपथकर्ता कि फर्म.....को किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

दिनांक-

शपथकर्ता

**Note: This Affidavit should be notarized.**

Signature of Contractor/ Authorized signatory of firm